

रा.आ.बैंक (नदि)/डीओएस/पर्यवेक्षी परिपत्र संख्या 5/2020-21

13 अप्रैल, 2021

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां,

महोदया/महोदय,

**मास्टर परिपत्र - आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां**

कृपया राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांकित 17 फरवरी, 2021 के अनुच्छेद 117 का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने समय-समय पर विवरणियां प्रस्तुत करने पर विभिन्न संसूचना जारी की हैं। इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु रा.आ.बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जारी सभी महत्वपूर्ण अनुदेश समेकित रूप से संलग्न है।

3. यह परिपत्र रा.आ.बैंक की वेबसाइट ([https://nhb.org.in/en/regulation\\_post/supervisory-circular/](https://nhb.org.in/en/regulation_post/supervisory-circular/)) पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,



(विनीत सिंघल)

महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोपरि

आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

| क्र. सं. | आवधिकता | विवरणी का नाम  | यथा स्थिति  | नियत तिथि  | यथा 31 मार्च तक लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार प्रयोज्यता  |
|----------|---------|--|---|--|--|
| 1        | वार्षिक | अनुसूची-I  | 31 मार्च  | 30 जून   | सभी आ.वि.कं.   |
| 2        | छमाही   | अनुसूची -II  | 31 मार्च/<br>30 सितम्बर                           | 12 मई/<br>11 नवम्बर                                | सभी आ.वि.कं.   |
| 3        | तिमाही  | अनुसूची III  | 31 मार्च/<br>30 जून/<br>30 सितम्बर/<br>31 दिसम्बर | 15 अप्रैल/<br>15 जुलाई/<br>15 अक्टूबर/<br>15 जनवरी | सार्वजनिक जमा को स्वीकार/धारण करने वाली आ.वि.कं. या ₹100 करोड़ या उससे अधिक की आस्ति परिमाण वाली आ.वि.कं. (चाहे वह सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार/धारण करती हो या नहीं)।                                       |
| 4        | तिमाही  | अल्पकालिक गतिशील चलनिधि (एएलएम) का विवरण                   | 31 मार्च/<br>30 जून/<br>30 सितम्बर/<br>31 दिसम्बर | 10 अप्रैल/<br>10 जुलाई/<br>10 अक्टूबर/<br>10 जनवरी | ₹100 करोड़ के आस्ति परिमाण वाली आ.वि.कं. (चाहे सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार/धारण करती हो या नहीं) या ₹20 करोड़ या उससे अधिक की सार्वजनिक जमा राशि धारण करने वाली आ.वि.कं. (उनकी आस्ति परिमाण के निरपेक्ष) |
| 5        | छमाही   | संरचनात्मक चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता (एएलएम) का विवरण | 31 मार्च/<br>30 सितम्बर                           | 20 अप्रैल/<br>20 अक्टूबर                           | ₹100 करोड़ के आस्ति परिमाण वाली आ.वि.कं. (चाहे सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार/धारण करती हो या नहीं) या ₹20 करोड़ या उससे अधिक की सार्वजनिक जमा राशि धारण करने वाली आ.वि.कं. (उनकी आस्ति परिमाण के निरपेक्ष) |



|    |         |   |   |  |  |
|----|---------|---|---|--|--|
| 6  | तिमाही  | बड़ी आवास वित्त कंपनियों/व्यापक चलनिधि की देयताओं एवं परिसंपत्तियों पर तिमाही विवरणी  | 31 मार्च/<br>30 जून/<br>30 सितम्बर/<br>31 दिसम्बर | 10 अप्रैल/<br>10 जुलाई/<br>10 अक्टूबर/<br>10 जनवरी | ₹20 करोड़ या उससे अधिक की बकाया सार्वजनिक जमा राशि वाली आ.वि.कं. (उनकी आस्ति परिमाण के निरपेक्ष) |
| 7  | तिमाही  | कॉरपोरेट्स/कंपनियों/बिल्डर्स/अन्य संस्थाओं आदि को 10 प्रमुख एक्सपोजर पर तिमाही विवरणी | 31 मार्च/<br>30 जून/<br>30 सितम्बर/<br>31 दिसम्बर | 15 अप्रैल/<br>15 जुलाई/<br>15 अक्टूबर/<br>15 जनवरी | सभी आ.वि.कं.   |
| 8  | तिमाही  | सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऋणों पर विवरणी  | 31 मार्च/<br>30 जून/<br>30 सितम्बर/<br>31 दिसम्बर | 5 अप्रैल/<br>5 जुलाई/<br>5 अक्टूबर/<br>5 जनवरी     | सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित आ.वि.कं.  |
| 9  | मासिक   | नई मासिक विवरणी   | प्रत्येक माह का अंत                               | अगले माह की 15                                     | सभी आ.वि.कं.   |
| 10 | वार्षिक | मुख्य अधिकारियों का विवरण   | 31 मार्च  | 30 अप्रैल  | सभी आ.वि.कं.   |

बैंक ने अपनी वेबसाइट यथा <https://nhb.org.in/en/returns/> और बैंक के ओआरएमआईएस पोर्टल <https://ormis.nhbonline.org.in/hfc/> पर भी विवरणियों के प्रारूपों यथा अनुसूची- I, अनुसूची II, अनुसूची III को अद्यतित किया है।

\*\*\*\*\*

